

20/04  
26

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रावली पेश हुई। गवाह वादी अनु-  
वकील वादी श्री विक्रम सिंह चौहरी  
ने वादी को उनकी ओर से न्यायालय  
में उपस्थित रहने के लिए राजि-  
नौरिस दिनांक 23-04-26 को दिशे  
जाने के वाकजूद वादी अनुपस्थित हैं।  
प्रकरण में वादी को साक्ष्य प्रस्तुति  
के लिए कई मर्तबा समभावसर दिशे  
जाने के वाकजूद गवाह हाजिर नहीं हैं।  
तथा वादी स्वयं भी उपस्थित नहीं  
हो रहे हैं। वादी अधिवक्ता ने वादी  
को प्रकरण में No intervention  
pledge दिशे जाने बाबत राजि-  
नौरिस भी दिशा जा चुका है इसके  
वाकजूद वादी उपस्थित नहीं हैं।  
जिससे वाद वादी अदम पेंरवी व  
अदम हाजरी में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फिलाल कुमार  
होकर नम्बर है कम है।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली